www.thearyasamaj.org

संस्थापित १८६७ ई०

ओ३म्

आर्य मित्र

साप्ताहिक

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुख पत्र

एक प्रति ₹ २.००
वार्षिक शुल्क ₹ १००
(विदेश ५० डालर वार्षिक) आजीवन शुल्क ₹ १०००

वर्ष : १२२ अंक : ०६ ०७ फरवरी २०१७ माघ शुक्ल पक्ष एकादशी संवत् २०७३ दयानन्दाब्द १६२ वेद व मानव सृष्टि सम्वत् : १९६०८५३११७

वैदिक उर्वशी, पुरुरवा एवं मित्रावरुण का रहस्य

- सूर्य देव चौधरी

ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ९५ वें सूक्त में उर्वशी एवं पुरुरवा का संवाद मिलता है, जबकि ऋग्वेद के ही सातवें मण्डल के ३३ वें सूक्त में उर्वशी एवं मित्रावरूण के सम्बन्ध का वर्णन है। पहले उर्वशी एवं पुरूरवा से सम्बद्ध एक मंत्र यहाँ उद्धत किया जा रहा है, जो इस प्रकार है

विद्युन्न या पतन्ती दविद्योत् भरन्ती में अप्या काम्यानि।
जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः।।ऋ. १०/९५/१०

अर्थात् जो विद्युत के समान गिरती हुई, चमकती हुई, मेरी कामनाओं को जल रूप में पूर्ण करती है, वह जल से उत्पन्न अथवा जल को उत्पन्न करने वाली उर्वशी अच्छी प्रकार प्रकट होकर मनुष्यों के लिए दीर्घ आयु को देती है।

इस स्थल पर और ऐसे ही कई अन्य स्थलों पर वेदों के कुछ भाष्यकार मानवीय इतिहास की कल्पना कर लिए हैं, जो उनके लौकिक एवं वैदिक संस्कृत के भेद एवं वेदार्थ शैली से अनभिज्ञता को सूचित करता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो इसे स्थल को विश्व की प्रथम प्रेम–कथा तक कहने की धृष्टता की है। ऐसे लेखक नहीं जानते है कि वेद वैदिक भाषा में हैं, लौकिक संस्कृत भाषा में नहीं तथा वेदों के शब्द यौगिक होते हैं, लौकिक संस्कृत की तरह रूढ़ि नहीं। देखने में समान प्रतीत होने वाली लौकिक एवं वैदिक संस्कृत में काफी अन्तर है। अतः लौकिक संस्कृत के आधार पर वैदिक मंत्रों को ठीक–ठीक अर्थ नहीं किया जा सकता। वेद मंत्रों के यथार्थ को समझने के लिए निरुक्त एवं निघंटु का ज्ञान

शेष पृष्ठ -६ पर

वेदामृतम्

उपक्षेतारस्त्व सुप्रणीते, अग्ने विश्वानि धन्या दधानाः।
सुरेतसा श्रवसा तुज्जमानाः, अभि ष्याम पृतनायूँरदेवान्।।

ऋग् ३.१.१६

हे अग्ने! हे तेजोमय परमात्मन्! तुम 'सुप्रणीति' हो, उत्कृष्ट प्रगतिशील नीतिवाले हो! तुम जिस नीति से स्वयं चलते हो तथा हम मानवों का मार्गदर्शन करते हो, वह तुम्हारी नीति हम अल्पशक्ति मनुष्यों के लिए बड़ी ही वरदा सिद्ध होती है। हे करुण-वरुणालय परमेश! तुम्हारी शुभ प्रकृष्ट नीति का वरण करने के लिए हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे समीपवर्ती हो जायें, क्योंकि बिना तुम्हारे समीप्य के तुम्हारी प्रकष्ट नीति, तुम्हारा सुन्दर उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम तुम्हारे साथ समीप्य स्थापित कर लेंगे तब स्वभावतः हम दुष्कर्मों से मुक्त होकर धन्य कर्मों को धार कर लेंगे, क्योकि तुम स्वयं धन्य कर्मों को ही धारण करने वाले हो। हे प्रभो! हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी कृपा से 'सुरताः बनें, उत्कृष्ट बल, वीर्य और सामर्थ्य से युक्त हों, उर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनें। पर 'रेतम्' का अर्थ केवल शारीरिक वीर्य-शक्ति ही नहीं है, रेतम् का अर्थ आत्मिक बल भी है। शारीरिक रेतस् आत्मिक रेतस् की प्राप्ति और वृद्धि में सहायक बनता है। हम शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार के रेतस् से समन्वित हों। इसके साथ ही हम 'श्रवः' को भी प्राप्त करें। 'श्रवः' का जहाँ एक स्थूल अर्थ शास्त्रश्रवण है, वहाँ साथ ही अन्तरात्मा की दिव्य वाणी के श्रवण को भी 'श्रवः' कहते हैं। इस द्वविध 'श्रवः' को भी हम धारण कर लें।

इस प्रकार जब हम परमात्मा के समीपवर्ती, धन्य कर्मों को धारण करने वाले, 'सुरेताः' और 'सुश्रवाः' बन जायेंगे, तब कोई भी दुष्ट वृत्ति हमारे अन्दर नहीं टिक सकेगी। अतः आओ, हम समस्त दुष्ट वृत्तियों के प्रति तीव्र अभियान आरम्भ करें। पवित्र मनोमन्दिर को कलुषित करने वाले तथा हमें दुर्बल मानकर हम पर ससैन्य आक्रमण करके हमें दबोच लेने वाले 'अदेवों' वृत्तियों को, तीव्रता के साथ पराजित कर देवें।

हे अग्निमय प्रभो! तुम हमारे अन्दर ऐसी आग्नेय शक्ति उत्पन्न कर दो कि हम आग के शोले बनकर 'अदेवों' पर टूट पड़ें और उन्हें क्षत-विक्षत् विध्वस्त एवं विदग्ध करके ही चैन लें और संघर्ष में विजयी बनकर देवत्त प्राप्त कर, गर्वोन्नत सिर के साथ जीवन-संग्राम में आगे ही आगे बढ़ते रहें।

साभार - वेदमञ्जरी

कार्यवाहक प्रधान डा० धीरज सिंह के पक्ष में पुनः पारित आदेश

डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक १६.०१.२०१७ के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं०–१८२६ (एम.एस०)/२०१७ में पारित आदेश दिनांक २५–०१–२०१७ के द्वारा स्थगित कर दिया गया है। मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त स्थगन आदेश के अनुपालन में श्रीमान् डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक २४.०१.२०१७ जारी किया गया, जिसके, द्वारा दिनांक ०६.११.२०१६ प्रभावी रहने के आदेश पारित किये गये हैं। डा० धीरज सिंह कार्यवाहक प्रधान बने रहेंगे।

डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक ०६.११.२०१६, मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक २५.०१.२०१७ एवं डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा पारित आदेश दिनांक २७.०१.२०१७ निम्नवत् प्रकाशित किया जा रहा है–

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मण्डल लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

संख्याः /१–७७/लखनऊ दिनांक

आदेश

संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र०, ५–मीराबाई मार्ग, लखनऊ में पारित कार्यालय आदेश संख्या १००५० दिनांक ०६.०१.२०१७ के क्रम में डा० धीरज सिंह द्वारा दिनांक २७.०१.२०१७ को मा० उच्चन्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या १८२६/२०१७ में पारित आदेश दिनांक २५.०१.२०१७ प्रस्तुत किया। जोकि निम्नवत् है–

"After hearing learned counsel for the parties and going through the records, prima facie, the submission made by learned counsel for the petitioner is correct, as such, till the next date of listing, operation and implementation of the impugned order dated 16.01.2017 passed by opposite party no.2/Deputy Registrar, Firms Socities & chits, Lucknow Mandal, Lucknow shall remain stayed."

श्रीमती गायत्री दीक्षित के आवेदन पर विचार करते हुए कार्यालय के आदेश संख्या–३०११ दिनांक ०६.११.२०१६ का आंशिक संशोधन करते हुए कार्यालय द्वारा आदेश संख्या–१००५० दिनांक १६.०१.२०१७ के द्वारा डा० धीरज सिंह के स्थान पर श्रीमती गायत्री दीक्षित को कनिष्ठ उपप्रधान मानते हुए कार्यवाहक प्रधान के अधिकार प्रदत्त किये गये थे।

डा० धीरज सिंह द्वारा कार्यालय आदेश संख्या–१००५० दिनांक १६.०१.२०१७ के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या १८२६/२०१७ योजित की गयी। मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पारित आदेश दि० १६.०१.२०१७ के क्रियान्वयन को अपने आदेश दि० २५.०१.२०१७ के द्वारा अग्रिम तिथि तक स्थगित कर दिया है। उक्त दिशा में कार्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या ३०११ दिनांक ०६.११.२०१६ पुनः पूर्ण रूप से मा० उच्च न्या० के अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा एवं डा० धीरज सिंह पूर्व की भाँति कार्यवाहक प्रधान पद पर कार्य करते रहेंगे।

(अजय गुप्ता)
डिप्टी रजिस्ट्रार

संख्याः१०२११(i)/I–७२/लखनऊ
दिनांक २७.०१.२०१७

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

१. श्री धीरज सिंह, कार्यवाहक प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० ५ मीरा बाई मार्ग लखनऊ।

२. सुश्री गायत्री दीक्षित, उप प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र० ५ मीरा बाई मार्ग लखनऊ।

३. श्री देवेन्द्र पाल वर्मा, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र० ५ मीरा बाई मार्ग लखनऊ।

डिप्टी रजिस्ट्रार

डॉ. धीरज सिंह
कार्यवाहक प्रधान/संरक्षक

स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती
मंत्री/प्रधान सम्पादक

आचार्य वेदव्रत अवस्थी
सम्पादक

www.thearyasamaj.org

सम्पादकीय.....

आर्य एवं दस्यु

मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भिन्न–भिन्न जातियां हैं। जिन जीवों की उत्पत्ति एक समान होती है वे एक ही जाति के होते है। अतः मनुष्य एक जाति है। जाति रूप से तो मनुष्यों में कोई भेद नहीं होता है, परन्तु गुण, कर्म, स्वभाव व व्यवहार आदि में भिन्नता होती है। कर्म के भेद से मनुष्य जाति में दो भेद होते है– १. आर्य, २. दस्यु। दो सगे भाई आर्य और दस्यु हो सकते हैं। वेद में कहा है ''विजानलाय्यान्ये च दस्यवः'' अर्थात आर्य और दस्युओं का विशेष ज्ञान रखना चाहिए। निरूक्त आर्य को सच्चा ईश्वर पुज से सम्बोधित करता है। वेद मंत्रों में सत्य, अहिंसा, पवित्रता आदि गुणों को धारण करने वाले को आर्य कहा गया है और सारे संसार को आर्य बनाने का संदेश दिया गया है। वेद कहता है– ''कृण्वन्तो विश्वमार्यम'' अर्थात सारे संसार को आर्य बनाओ। वेद में आर्य (श्रेष्ठ मनुष्यों) को ही पदार्थ दिये जाने का विधान किया गया है– 'अहम् भूमिमददामार्याय। अर्थात मैं आर्यों को यह भूमि देता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्य परिश्रम से अपना कल्याण करता हुआ, परोपकार वृत्ति से दूसरों को भी लाभ पहुँचावेगा जब दस्यु, दुष्ट, स्वार्थी सब प्राणियों को हानि ही पहुँचायेगा। अतः दुष्ट को अपनी भूमि आदि सम्पत्ति नहीं दिये जाने चाहिए।

इस देश का प्राचीन नाम आर्यावत् था। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीतियों के चलते भारत की शिक्षा और संस्कृति में परिवर्तन करके आर्यों को बाहरी घोषित कर दिया गया वर्तमान समय में क्षुद्र राजनीति को त्यागकर इस इतिहास प्रदूषण को समाप्त करने की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में महर्षि देव दयानन्द सरस्वती अपने कालजयी ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास में लिखते हैं कि– जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियों के कपोल कल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते और देवासुर संग्राम में आर्यवर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़, में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुए थे। इससे यही सिद्ध होता हैं कि आर्यवर्त्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है। क्योंकि जब–जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यो पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब–तब यहाँ के राजा महाराजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और श्रीराम चन्द्र जी से दक्षिण में युद्ध हुआ है। उस का नाम देवासुर संग्राम नहीं है किन्तु उसको राम–रावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं।

किसी संस्कृत ग्रन्थ में वह इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहाँ के जंगलियों से लड़कर, जय पा के, निकाल के इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है।''

आर्य भारत के मूल निवासी है यह तथ्य अनेक प्रमाणों से भी सिद्ध है। इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है।

– कार्यकारी सम्पादक

गतांक से आगे ....

सत्यार्थ प्रकाश

अथ तृतीय समुल्लासारम्भः

अथाऽध्ययनाऽध्यापनविधिं व्याख्यास्यामः

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित्।
यद्यद्धि कुरुते किंचित् तत्तत्कामस्य चेष्टितम्।। मनु०।।

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिए कि निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच विकास का होना भी सर्वथा असम्भव है। इस से यह सिद्ध होता है कि जो–जो कुछ भी करता है वह–वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है।

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त्त एव च।
तस्मादस्मिन्सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः।।१।।
आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते।
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग्भवेत्।।२।। मनु०।।

कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ाने, का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे।।१।। क्योंकि जो धर्माचरण रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता और जो विद्या पढ़ के धर्माचरण करता है वही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है।।२।।

योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः।।१।। मनु०।।

जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंगति और देश से बाह्य कर देना चाहिए। क्योंकि–

श्रुति वेद, स्मृति वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात वेदद्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिस को आत्मा चाहता है जैसे कि सत्यभाषण ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं में धर्माधर्म का निश्चय होता है। जो पक्षपातरहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है उसी का नाम धर्म और इस से विरीत जो पक्षपात सहित अन्यायचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहण रूप कर्म हे उसी को अधर्म कहते हैं।

अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते।
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः।। मनु०।।

जो पुरुष (अर्थ) सुवर्णादि रत्न और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फंसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद धर्म का निश्चय करें क्योंकि धर्माऽधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक–ठीक नहीं होता।

इस प्रकार आचार्य्य अपने शिष्य को उपदेश करे और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्र जनों को भी विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होके जीवन धारण कर सकते हैं। जीविका के आधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत् परीक्षक दण्डदाता न होने से ब्राह्मणादि सब वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं और जब क्षत्रियादि विद्वान होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते और जब क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पाखण्ड, झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते हैं। इसलिए ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहें तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास वृद्धि करने हारे हैं, वे कभी भिक्षावृत्ति नहीं करते, इसलिए वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते। और जब सब वर्णो में विद्या सुशिक्षा होती है तब कोई भी पाखण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संयासी तथा ब्राह्मण और संयासी को सुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं। इसलिए सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिए।

अब जो–जो पढ़ना–पढ़ाना हो वह–वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा पांच प्रकार से होती है–

एक–जो–जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो वह–वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है।

दूसरी– जो–जो सृष्टिक्रम से अनुकूल वह–वह सत्य और जो–जो सृष्टिक्रम से विरूद्ध है वह सब असत्य है। जैसे कोई कहै–बिना माता–पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ' ऐसा कथन सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है।

तीसरी– 'आप्त' अर्थात् जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह–वह ग्राह्य और जो–जो विरूद्ध वह–वह अग्राह्य है।

चौथी– अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूँगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा।

और पांचवी– आठों प्रणाम अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणादि के जो–जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे–वे सऽ न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो।

क्रमशः अगले अंक में ....

www.thearyasamaj.org

धरोहर.... नेता जी सुभाष चन्द्र बोस एक युग पुरुष

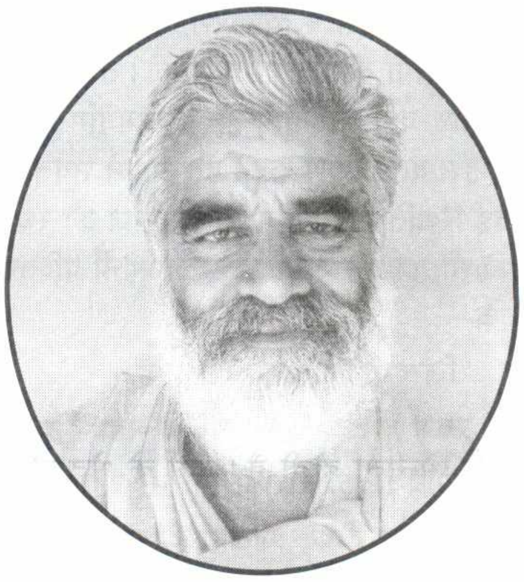

स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती
मंत्री, आर्य प्रतिनिधि सभा
उ०प्र०, लखनऊ

२३ जनवरी– गढमुक्तेश्वर–गंगा किनारे गढमुक्तेश्वर के निकट प्राचीन तीर्थधाम में स्थित गुरूकुलपूठ की पवित्र यज्ञशाला में प्रातःकाल पवित्र वेद मन्त्रों से यज्ञ किया गया यज्ञ के पश्चात् गुरूकुल पूठ के संचालक स्वामी धर्मेश्वरानन्द जी आचार्य ने उपस्थित लोगों को बातया कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस एक युग पुरुष थे एक पूरे युग की आयु भी क्रमशः बढ़ती रहती है यथा कलियुग ४३२००० वर्ष इससे दो गुनी द्वापर ८६४००० कलियुग से तीन गुनी त्रेता १२६६००० और कलियुग से चार गुनी आयु सतयुग १७२८००० चारों युगों की आयु मिलाकर ४३२००० वर्ष होती है इतनी लम्बी समय की अवधि में चार ही युग पुरुष हुए हैं चारों की परिस्थिति भी सम है और कार्य भी लगभग समय के हिसाब से सम ही है जैसे सतयुग में हरिश्चन्द्र सत्यवादी राजा त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी द्वापर में महायोगी श्रीयुत्त कृष्णाचन्द्र जी तथा कलियुग में अमर स्वतन्त्रता सेनानी सुभाष चन्द्र बोस नेता जी– नेता जी शब्द ही इनकी पहिचान बन गई थी बाल्यकाल से ही स्वाभिमानी बालक था पढ़ते समय कालेज में अंग्रेज अध्यापक द्वारा भारत में रहने वाले लोगों को जब ''इण्डियन डोग'' कहकर उपहास करना चाहा तो बालक सुभाष ने अपनी कक्षा में खड़े होकर चेतावनी दी और अपने उस अध्यापक के द्वारा पूरे देश भारत का अपमान करने पर एक जोरदार चाटा मारकर अपमान का बदला लेकर उन्हें दिखा दिया था कि भारतीय बालक कुत्तें नहीं अपितु शेर होते हैं ऐसे स्वाभिमानी सुभाष चन्द्र के जन्मदिवस पर हम सभी भारतीय व्रत लें कि अपने देश की गरिमा अस्मिता एकता और भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे उन्होंने आजाद हिन्द सेना बनाकर देश की आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति लगाई यज्ञ में वेदपाठ ब्र० दयानन्द हरिदत्त शर्मा कुलदीप शास्त्री एवं प्रदीप शस्त्री और सन्दीप शास्त्री ने किया यज्ञ का संचालन प्रमोद आचार्य ने किया आचार्य राजीव–प्रमोद राजेन्द्र जी ने अपने विचार प्रस्तुत किये ब्र० गुरू मेन्द्र–ब्र० सत्यं शिवं सुन्दरम् ने मिलकर गीत सुनाये तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी जी संचालक जी ने की संयोजन ब्र० पुष्पेन्द्र और ऋषभ शास्त्री ने किया कार्य क्रम में श्री सुखमुनि धर्ममुनि मेहशी आर्य–सतवीर राजेन्द्र शास्त्री, रामकुमार शास्त्री, दिनेश आचार्य, राकेश शस्त्री, नितिन प्रमोद आदि उपस्थित थे बाद में विद्यालय के प्राचार्य राजीव जी ने सभी का धन्यवाद किया श्री हरिदत्त शर्मा की संस्कृत गीतिका की सभी ने प्रशंसा की उड़िया बाबा ने सभी को अन्त मं अपना आशीर्वाद दिया।

संचालक– गुरूकुलपूठ
गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़ (उ०प्र०)

''महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं समाज सुधार''

जिला आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ द्वारा आयोजित ''महर्षि दयानन्द सरस्वती एक समाज सुधारक'' विषय पर आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता में उ०प्र० के कई जनपदों के महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। कुल ५६५ निबन्धों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया गया। जिसमें से ५५ लेखों को चुनकर शामिल किया गया। इसमें रामाधीन सिंह कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने क्रमशः प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कार तथा आठ सांत्वना पुरस्कार दिये गये। विशेष पुरस्कारों में शामिल किये गये कुछ लेख आर्य मित्र के अंकों में क्रमशः प्रस्तुत किये जा रहे हैं। आशा है, प्रबुद्ध युवा वर्ग, को, आज के इस पाश्चात्य जीवन से प्रभावित हमारे युवाओं लेखकों के महर्षि सम्बन्ध में विचार अवश्य प्रेरित करेंगे। प्रस्तुत है डा० सत्यकाम आर्य जी द्वारा लिखित लेख–

जंजीरों से जकड़े स्वदेश को राह दिखाई थी तूने,
जिसको भी काल न बुझा सका वह शमा जलाई थी तूने,घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा के बोता था,
तूने आवाज़ लगाई भी जब सारा भारत सोता था।।

'अन्य देशों में राज्य करने की कथा ही क्या कहनी, आर्यावर्त में भी आर्यों का अखण्ड, स्वतन्त्र स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं हैं जो कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र है। दुर्दिन जब आता है, तब देश वासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगने पढ़ते हैं कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। मत–मतान्तर के आग्रह रहित अपने और पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर पिता–माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं।''साक्षात्कृतधर्मा, महानयोगी, आदित्य ब्रह्मचारी, परमवेदज्ञ, अद्वितीय वैय्याकरण तर्कशिरोमणि, आर्षपरम्परा पोषक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने यह अन्तरवेदना अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में सन् १८७४ में व्यक्त किया था। यह पीड़ा भारत की उन्नीसवीं शताब्दी की दशा का हृदय विदारक चित्र प्रस्तुत करती है। तत्कालीन भारतीयों के नैतिक एवं सामाजिक जीवन में सर्वत्र अस्थिरता, आराजकता एवं अशान्ति का पूर्णतः प्रभाव था। पराधीन देश जन्मना जातिवाद छुआछूतवाद, मूर्तिवाद अवतारवाद, अन्धविश्वास, सामाजिक रूढ़िवाद (मृतक श्राद्ध, फलित ज्योतिष, भूतप्रेतवाद आदि) से पूरी तरह ग्रस्त था। ऐसी विषम परिस्थिति में तत्कालीन देशवासियों के मन में स्वतन्त्रता बन्धुत्व एवं एकत्व जैसे उदात्तभावों के आने का प्रश्न ही नहीं था। सम्पूर्ण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज मिशनरियों का बोलबाला था। राजाराम मोहन राय जैसे सुधारक भी तब वाराणसी में स्थापित संस्कृत विद्यालय के प्रशंसक नहीं थे क्योंकि वह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों–कॉलेजों के पक्षधर थे।

बहुतेरे प्रबुद्धजन अँग्रेजियत को भारत की प्रगति का प्रतीक मानते थे। लार्ड मैकाले ने ऐसे ही वातावरण को देख अपने पिता को आत्मविश्वास से भरपूर पत्र लिखा था– ''मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि शिक्षा सम्बन्धी योजना सफल हो गई तो बंगाल में ३० वर्षो बाद कुलीन एवं सम्पन्न श्रेणियों में एक भी मूर्तिपूजक (हिन्दू) नहीं बचेगा। ईसाइयत के प्रचार के लिए कोई अन्य प्रयत्न किये बिना यह काम सहज ही सम्पन्न हो जायेगा। यह सत्य है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में इस भविष्यवाणी के मिथ्या सिद्ध होने की बहुत कम सम्भावना थी। इसी कालखण्ड में महर्षिदयानन्द ने भारतीयों की इस मनोदशा का परिचय प्राप्त किया साथ ही इस दुर्भाग्य एवं मिथ्या प्रवाह को अपनी अदम्य जीवनी शक्ति, आत्मतम और प्रखर समाज सुधारक भावना के द्वारा मोड़ने एवं रोकने का यत्न प्रारम्भ किया गया।

संक्षिप्त जीवन परिचय–

'' आग को ऐसा सहेजा, क्रान्ति फूँकी थी निराली।
वेद की जलती ऋचा से जिन्दगी ऐसी सजाली,
साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई क्यों?
तुम जले तो भोर आया, तुम बुझे तो थी दीवाली।।

कवि की इन पंक्तियों का भाव एक होनहार बालक के जीवन पर अक्षरशः सही अवतरित है जिसका शुभ जन्म १२ फरवरी, १८२४ को सौराष्ट्र प्रान्तस्थ मौरवी राज्यान्तर्गत ग्राम टंकारा निवासी औदीच्य कुलीन शिवापासक जन्मना ब्राह्मण दम्पत्ति श्री कर्षण जी तिवारी एवं श्रीमती यशोदा बाई के घर आंगन में हुई। तेजस्वी एवं सुसंस्कारित बालक मूलशंकर ५ वर्ष की अवस्था में वर्ण शिक्षा प्राप्त कर ८ वर्ष की आयु में यज्ञोपवीती हो गया। उपनयन संस्कार का प्रभाव ही कहें कि उसने १४ वर्ष की सुकुमार अवस्था ही में व्याकरण, यजुर्वेद तथा अन्य वेदों के कुछ अंशों को कण्ठस्थ कर लिया था। मूलशंकर को संवत् १८६५ में शिवरात्रि के दिन शिव मूर्ति पर चढ़े नैवद्य को चूहों द्वारा खाते देख सच्चे शिव दर्शन की लालसा जगी। काणान्तर में छोटी बहन एवं धर्मात्मा चाचा के असामयिक मृत्यु पर हृदय में मृत्युज्जंयी बनने की वैराग्य वृत्ति उदय हुई। संवत् १६१७ में मथुरा में

शेष पृष्ठ -४ पर

www.thearyasamaj.org

पृष्ठ ३ का शेष

"महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं ....

- डा० सत्यकाम आर्य

जगदगुरू स्वामी विरजानन्द के पावन एवं आध्यात्मिक संरक्षण में व्याकरण, पंतजलि योग सूत्र और वेद वेदांगों की शिक्षा ग्रहण की। तदनन्तर गुरू आज्ञानुसार वहीं से कृष्वन्तो विश्वमर्याम का व्रत लिया। इस व्रत के पूर्ण करने हेतु आपने संवत् १६३२ में बम्बई स्थिति गिरगांव में आर्य समाज की स्थापना की। किसी कवि ने उनके व्रत को अपनी पंक्तियों में कहा कि–

"जिन्दगी को तपाये दे रहा हूँ,
स्वर्ण को कुन्दन बनाये दे रहा हूँ,
आँधियों को रोशनी मिलती रहेगी
आज वह दीपक जलाये दे रहा हूँ।।

समाज सुधार –

महर्षि व्यास के शब्दों में धर्म का मर्म यह है कि जो व्यवहार हमें अपने लिए स्वीकार न हो, वह दूसरों के साथ न करें। परिवार की परस्पर कलह ने महाभारत जैसे विश्वयुद्ध का स्वरूप जब धारण किया तो असंख्य जीवन ही नष्ट–भ्रष्ट नहीं हुए वरन उच्च आदर्श, मानवीय सिद्धान्त, जीवन मूल्य और धार्मिक मर्यादायें भी इस विकराल युद्ध की भेंट चढ़ गये। सत्य सनातन वैदिक धर्म के विनाश हो जाने के करण विभिन्न प्रकार के मत–पंथ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में उदय हो गये। यथा बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, इसाई और इस्लाम आदि। यद्यपि इन सभी मानवकृत, समसामयिक एवं वर्ग विशेष का हेतु चाहने वाले पंथों में वेदव्यास की धर्म–भावना का भाव "कभी भूलकर किसी से न करो ऐसा सलूक। कि जो तुमसे कोई करता, तुम्हें नागवार होता। यत्र–तत्र प्रतिध्वनित होता है किन्तु गहराई में जाने पर सत्यसनातन वैदिक धर्म में पाई जाने वाली भावना इनमें सर्वत्र नहीं मिलती है।

यहाँ एक तथ्य उल्लेखनीय है कि सभी नवोदित मतों–सम्प्रदायों ने मानीवय मूल्यों को गौण और अपने को प्रमुख बताया फलतः तत्कालीन भारतीय समाज दिग्भ्रमित होकर वेदोक्त धर्म से परे हो गया। ऐसी परिस्थिति में समाज आस्तिक नास्तिक, शैव–वैष्णव, शाकाहार–मांसाहार आदि खेमों में बंट गया। इन विषम परिस्थितियों के समाधान एवं धर्म और संस्कृति की सुरक्षा की दृष्टि से महर्षि स्वामी दयानन्द ने अंधविश्वासों, कुसंस्कारों, कुरीतियों एवं जड़ताओं पर प्रबल प्रहार किया साथ ही इनके पोषक संगठनों एवं सम्प्रदायों की कड़ी आलोचना भी की।

ऋषिवर दयानन्द ने आर्यसमाज के पहिले दो नियमों में परामात्मा के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया अर्थात् प्रकाश डाला कि ईश्वर जगत् का आधार है। जगत मिथ्या नहीं है बल्कि समस्त प्राणियों के लालन–पालन का ईश्वर विरचित मूल स्रोत है। स्वामी जी ने इन्हीं नियमों में स्पष्ट संकेत दिया कि ईश्वर सच्चिादानन्द है, प्राकृतिक नहीं है, निराकार है। ईश्वर अवतार नहीं लेता है। कोई जड़ पदार्थ ईश्वर के स्थानापन्न नहीं हो सकते। इसलिये सब प्रकार की प्रतिमायें जो ईश्वर के रूप में पूज्य हैं, वे कल्पित और भ्रमात्मक हैं। आध्यात्मिक सिद्धान्तानुसार अनुचित और हानिकारक हैं। यजुर्वेद में भी इसी विचार का समर्थन एवं निर्देश है–

"अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भतिमुपसाते।
ततो भुयऽइव ते तमो यऽउ सम्भूत्याढ़रताः।।

न तस्य प्रतिमाऽस्ति स्वामी जी ने दशवें नियम में स्पष्ट लिखा है कि हमें उन्हीं कार्यों के करने न करने की स्वतन्त्रता है जिसका प्रभाव केवल कर्ता तक सीमित रहे। प्रकारान्तर से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले कार्यों में अपनी इच्छा का प्रधानता न देकर सामाजिक हित को ही सर्वोपरि समझना श्रेयस्कर है।

महर्षि दयानन्द की सोच में उत्कृष्ट मानव धर्म वह है जो मानव–मानव के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सभी के लिए व्यक्तित्व विकास से लेकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान करने की पहिली विशेषता धारण करता हो। ऋषिवर की यह भावना ऋग्वेद के मन्त्र द्वारा पूर्णतः पुष्ट होती है– "अज्येस्ठसो अकनिष्ठास एवं सं भ्रातरो वावृथुः सौमगाय।

महर्षि दयानन्द स्वयं लिखते हैं– सव को तुल्य वस्त्र, खान–पान आसन दिये जाएँ, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो चाहे दरिद्र की सन्तान हो। लौह पुरूष सरदार पटेल का कल्याणाकारी वचन उल्लेखनीय है कि स्वामी दयानन्द ने जिस अछूतोद्धार आन्दोलन को जन्म दिया उसी से प्रेरित एवं प्रभावित होकर श्रद्धेय श्रद्धानन्द ने तिलक फण्ड में से कुछ धनराशि कांग्रेस के अछूतो द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित कराया जिसे सम्मान पूर्वक महामना मालवीय जी एवं महात्मा गांधी जी ने अंगीकार किया था।

चूँकि तत्कालीन भारतीय समाज में ब्राह्मणों एवं शूद्रों में धरती अकाश जैसा अन्तर था ऐसी स्थिति में सन्यासी दयानन्द ने अनुभव किया कि एसे जन्मना जातिगत, पंथगत भेदभाव के रहते राष्ट्रोन्नति सम्भव नहीं। इसके निवारण हेतु उन्होंने फिरोजपुर में सर्वप्रथम अनाथालय खोलकर असहाय, बेसहारा और जरूरतमन्द बच्चों के जीवन को सच्ची दिशा ही नहीं बल्कि उच्च चेतनामय जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उन्होंने अथर्ववेद के इस मन्त्र की उच्चतम शिक्षा के भाव को जन–जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया–

प्रियं मा कृणु देवेषु, प्रियं राजसु मा कृणं।
प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्ये।।

महर्षि दयानन्द

सत्यार्थ प्रकाश में स्वमन्तव्य लिखते हैं कि "चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख–दुख हानि लाभ में एकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन व्यय करते हैं। फलतः यजुर्वेद का सन्देश एवं उपदेश समाज में निश्चितरूपेण व्यवहृत होना अपरिहार्य है–

रूर्च नो घोहि ब्राह्मणेषु रूचं राजसु नस्कृधि।
रूचं विश्येषशु शूद्रेषु मयि घेहि रूचा ऊयम्।।

अर्थात ब्राह्मणों के साथ प्रीति हो, क्षत्रियों के साथ प्रीति हो, शूद्रों के साथ प्रीति हो मेरे हृदय में सबके प्रति प्रेम हो। स्वामी दयानन्द ने अनुभव किया था कि हिन्दु समाज एक ऐसा सरोवर बन चुका था जहाँ पानी बाहर तो निकलता था किन्तु एक बूंद अन्दर नहीं आ सकता था। ऋषिवर ने ऐसे सरोवर को शुब्क होने से बचा लिया अर्थात् लाखों मुस्लिम पाकिस्तान समर्थक होने से बच गये थे साथ ही स्वामी जी ने ऐसे भाईयों को वैदिक धर्म में सादर आने तथा वेद विद्या पढ़ने–पढ़ाने का वेद सम्मत अधिकार प्रदान कर विश्व बन्धुत्व, सहअस्तित्व एवं एकत्व का कल्याणकारी सन्देश दिया।

युग प्रवर्तक दयानन्द समस्त पृथ्वी को एक परिवार की तरह मानकर परस्पर प्रेम पूर्वक रहने की वैदिक शिक्षा को हृदय से अनिवार्य मानते थे। अथर्ववेद के मंत्र जनं बिभ्रती बहुधा विवाचसं नाना धर्माण पृथिवी यथोकसम्। अर्थात् बहुत भाषाओं को बोलने वाले, अनेक प्रकार के धर्मों (कर्मों) का पालन करने वाले लोगों को पृथ्वी माता अपने अन्दर ऐसे आश्रय देकर रखती है जैसे एक परिवार के लोग मिलजुलकर रहते है की उदात्त भावना को महर्षि जनजन तक पहुँचाने को अहर्निश दृढ़ संकल्प थे।

पृथ्वी की अप्रतिम संरचना मातृशक्ति उस काल में घोर अवमानना एवं उपेक्षा का जीवन यापन कर रही थी। शंकराचार्य ने स्त्री शूद्रौनाधियाताम् एवं गोस्वामी तुलसीदास ने ढोलगंवार शूद्र पशु नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी की घोषणा की थी। स्वामी दयानन्द ने अपने तप से सम्पूर्ण समाज को नारी शक्ति के वैदिक स्वरूप को ऋग्वेद के मंत्र से समझाया –

अहं केतु रहं मूर्धाह मुग्रा विवाचनी।
ममहेतु क्रतुं पति सेहानाया उपाररेत्।।

अर्थात् मैं ध्वजा के तुल्य हूँ। मैं समाज में मूर्धा स्थान पर केन्द्रित हूँ। मैं तेजवन्ती एवं तपोवन्ती बनकर सभाओं में हितोपदेश करने वाली हूँ। मेरे आदर्शों, मेरी इच्छाओं, साधना एवं कर्म के अनुकूल मुझे पति प्राप्त हो। स्वामी जी ने अपने सत्योपदेशों के माध्यम से नारियों में उत्तम शिक्षा, साहस, वीरता और बलिदान की भावना को जगाया। इसीलिए आज भी स्वामी दयानन्द प्रथम नारी उद्धारक के रूप में अभिनन्दनीय हैं। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि नारी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पुर्नजीवित करने के लिए उनके मध्य वैदिक शिक्षा का विकास आवश्यक हो। स्वामी जी अपने स्वप्नों के आर्यावर्त में नारी के लिए ऐसी शिक्षा चाहते थे जो नारी को गृहकार्यकुशलता के साथ–साथ सामाजिक जीवन स्थिरत्व, दृढ़ता एवं स्वावलम्बन प्रदान कर सके। यजुर्वेद में एतद्विषयक विचारों का प्रबल समर्थन दृष्टव्य है–

"ध्रुवासि धरूणास्तृता विश्वकर्मणा" अर्थात हे नारी! तू ध्रुव हो अटल निर्णयों वाली हो। ताकि तू पूर्ण सुरक्षा एवं सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। संक्षेप में महर्षि दयानन्द समाज में ऐ ऐसे उदान्त विचार के समर्थक थे जो समानता, वैश्विक मातृ–भाव, सर्वांगीण विकास एवं वैज्ञानिक आधार मूलक हो। राजर्षि रणजय सिंह महाराज द्वारा रचित छन्द महर्षि के जीवन पर प्रेरक प्रभाव डालता है।

"स्वामी दयानन्द ने दिखाया जो वेद पथ उसी पर चलेंगे तो सच्ची शन्ति पायेंगे। दीन, विधवा, अनाथ गोवंश संरक्षण में, तन–मन–धन सभी अपना लूटायेंगे। भूलकर भारतीय सभ्यता प्राचीन कभी, चीन और रूप केन व्यर्थ गीत गायेंगे, दुरित को दूर कर वैदिक पताका लिये, विश्व में रंणजय आर्य धर्म फैलायेंगे।

मो० : ८४१५६१०५०२

www.thearyasamaj.org

गुरुकुल वृन्दावन, मथुरा के सम्बन्ध में पारित पूर्व आदेश दिनांक 14.12.2016 प्रभावी

स्थापित 1886 ई०
पंजीकरण तिथि 5 जनवरी, 1897

ओ३म्

0522-2286328

आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश

श्री नारायण स्वामी भवन, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 226001
ई-मेल-apsabhaup@gmail.com

पत्रांक 1060 दिनांक 31/1/17

आदेश

आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है। गुरूकुल वृन्दावन, मथुरा (पूर्व गुरूकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन), पैतृक संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० से सम्बद्ध एक शिक्षण संस्था है। इसकी चल-अचल सम्पत्तियों का स्वामित्व आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० में निहित है तथा इसी के नियमोपनियम द्वारा उक्त संस्था का संचालन होता है। आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, लखनऊ का प्रधान ही गुरूकुल वृन्दावन का पदेन कुलाधिपति होता है।

आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ की तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान-श्रीमती गायत्री दीक्षित ने बिना कारण बताये अपने पत्रांक-1041 दिनांक-25-01-2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी डॉ० धीरज सिंह-कार्यवाहक प्रधान द्वारा गुरूकुल वृन्दावन, मथुरा के सम्बन्ध में पारित आदेश पत्रांक-996 दिनांक-14-12-2016 को निरस्त कर दिया गया था।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या 1829 (एम०एस)/2017 में पारित आदेश दिनांक-25-01-2017 के अनुपालन में डॉ० धीरज सिंह-कार्यवाहक प्रधान संस्था के हैं; श्रीमती गायत्री दीक्षित द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक-25-01-2017 की अवमानना करते हुए एवं बिना कारण के जारी आदेश पत्रांक-1041 दिनांक-25-01-2016 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ द्वारा पारित आदेश पत्रांक-996 दिनांक-14-12-2016 पूर्ववत् प्रभावी मान्य होगा।

(डॉ० धीरज सिंह)
कार्यवाहक प्रधान

(स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती)
सभा मन्त्री

(अरविन्द कुमार)
कोषाध्यक्ष

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- परीक्षा नियंत्रक, गुरूकुल वृन्दावन, मथुरा।
2- श्रीमान् डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3- प्रकाशक मुद्रक/सम्पादक/प्रबन्ध सम्पादक, आर्य मित्र साप्ताहिक, आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से कि वे आर्य मित्र साप्ताहिक में प्रकाशित करें।

(डॉ० धीरज सिंह)
कार्यवाहक प्रधान

(स्वामी धर्मेश्वरानन्द सरस्वती)
सभा मन्त्री

(अरविन्द कुमार)
कोषाध्यक्ष

देशवासियों! याद करो अब वीरों की कुर्बानी

- पं० नन्द लाल निर्भय

देश धर्म की भेंट चढ़ा दी, अपनी भरी जवानी।
देश वासियों याद करों अब, वीरों की कुर्बानी।।
राणा सांगा ने बाबर को, नाको चने चबाए।
महाराणा प्रताप शिवाजी, मुगलों से टकराए।।
तेग बहादुर गोविन्द सिंह ने, दुष्टों को मारा।
बंदा वैरागी नलवा को, मान गया जग सारा।।
दुर्गा रानी किरण मई थी, देश भक्त क्षत्राणी।
देशवासियों याद करो अब, वीरों की कुर्बानी।।१।।
जगत गुरू ऋषि दयानन्द ने, सोया देश जगाया।
आजादी का बिगुल बजाया, योगीना घबराया।
ताँत्या टोपे तुकाराम, नाना को साथ लगाया।
वीर कुंवरसिंह नाहर सिंह ने, भारी युद्ध मचाया।
लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से, खूब लड़ी मर्दानी।
देशवासियों! याद करो अब, वीरों की कुर्बानी।।२।।
वीर सुभाषचन्द्र ने था गोरों का राज हिलाया।
भारत है वीरों की धरती, दुष्टों को दिखलाया।
विस्मिल शेखकर भगत सिंह ने भारी लड़ी लड़ाई।
खुदीराम अशफाक वीर ने, हंसकर फांसी खाई।।
मत भूलो, लंदन में ऊधम की पिस्तौल चलानी।
देशवासियों! याद करो अब, वीरों की कुर्बानी।।३।।
वीरों के बलिदानों से ही, यह आजादी आई।
भारतवीर सपूतों ने भी, कठिन मुशीबत पाई।
आजादी का महत्व समझ लो सभी बहिन अरूभाई।
मिलजुल करके रहना सीखो, इसमें सभी भलाई।।
देश भक्त बलवान बनों तुम, सच्चे ईश्वर ध्यानी।
देशवासियों! याद करो अब, वीरों की कुर्बानी।।
बनो सदाचारी तपधारी, जीवन श्रेष्ठ बनाओ।
गंदी सगति त्यागो प्यारो। जग में आदर पाओ।।
वैदिक धर्मी बनो, देश भारत की शान बढ़ाओ।
नन्दलाल तुम आजादी के मधुर तराने गाओ।
करो देश का ध्यान, छोड़ दो, करनी तुम मनमानी।
देशवासियों! याद करो अब वीरों की कुर्बानी।।

मो० : ६८१३८४५७७४

शिष्टाचार

- नरेन्द्र अहूजा 'विवेक'

मनुष्य का आचरण एक दर्पण है जिसमें उसका प्रतिबिम्ब साफ दिखाई देता है। उसके शिष्टाचार से पता चलता है कि वह कुलीन है अथवा अकुलीन। जिस प्रकार एक साफ गिलास में यदि पानी भर दिया जाये तो भी वह पीने के योग्य नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार सुंदर शरीर होने के बावजूद यदि मनुष्य का आचरण शिष्ट नहीं है तो वह सम्मान नहीं पा सकता। शिष्टाचार मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य का पैमाना है। शास्त्र पढ़कर ज्ञान होने पर भी यदि उस पर आचरण ना किया जाये तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं वस्तुतः वह पढ़ा लिखा मूर्ख है। विद्वान वही जो पढ़े और सुने हुए वेदादि शास्त्रों के अनुकूल शिष्ट आचरण करता है। वेदादि शास्त्रों को पढ़े चिंतन मनन करे लेकिन उस एक बार पढ़कर चिंतन मनन किये ज्ञान पर आचरण बार-बार लगातार करे। शिष्टाचार केवल किताबों में पढ़कर सपनों में नहीं सीखा जा सकता उसे तो मनुष्य अपने जीवन में हर बार लगातार करते हुए यथार्थ की कठोर शिलाओं पर घिस कर मूर्त रूप देता है।

शिष्टाचार मनुष्य जीवन का एक अत्यंत आवश्यक अंग है इसलिए जीवन में प्रगति के लिए इस धारण अत्यंत आवयश्यक है। धर्मशूत्र में शिष्ट के लक्षण लिखते हुए कहा गया है

शिष्टाः खलु विगमत्सराः, निरंहकाराः कुम्भीधान्याः,
अलोलुपाः, दम्भ दर्प लोभ मोह क्रोध विवर्जिताः।

अर्थात् धर्मसूत्र के अनुसार शिष्ट उन्हें कहते है जिनमें ईर्ष्या, अभिमान, धनसंग्रह की इच्छा लालच, दम्भ, दर्प, लोभ, मोह, क्रोध नहीं होता। मनुष्य के शिष्टाचार से उसके गुणों, शिक्षा, रूचि और सभ्यता का पता चलता हैं महान दार्शनिक देव दयानन्द स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में शिष्टाचार और शिष्ट को परिभाषित करते हुए लिखते हैं " शिष्टाचार जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य असत्य निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग करना है, यही शिष्टाचार है और जो इसको अपने जीवन में करता है वह शिष्ट कहलाता हैं "शिष्टाचार मानव द्वारा जीवन में अपनाने योग्य आचरण है। एक सामान्य व्यवहार भी यदि हम जीवन में पालन करें तो शिष्ट व्यवहार और आचरण हम स्वयं दूसरों के साथ किया करें।

जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि और धुंआ उंचाई की ओर जाता है और सभी को लाभान्वित करता है उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में शिष्टाचार और त्याग की अग्नि प्रज्ज्वलित करके सद्कर्मों की आहुति देते हुए अपनी कीर्ति को बढ़ा सकता है। शिष्टाचार बुरे लक्षणों को नष्ट करता है और इससे कीर्ति और आयु बढ़ती है। केवल शास्त्रों की पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं सीखा जा सकता जब तक कि उस पढ़े या सुने हुए वेदादि शास्त्रों के ज्ञान को शिष्टाचार के रूप में जीवन में आचरण में ना अपना लिया जाये। इसीलिए वेद भगवान का आदेश भी है। सं श्रुतेन गमेमहि। माश्रुतेन विराधिषी।

शिष्टाचार के लिए कोई पहले से तैयार राजपथ नहीं है। माता-पिता और आचार्य शिष्टाचार सिखाने के कारखाने है इससे विद्या पाकर परिस्थिति के अनुसार शिष्ट आचरण करने वाला बालक ही ज्ञानी बनता है। आर्य संस्कृति तो शिष्टाचारियों के उदाहरणों से भारी पड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, योगेश्वर कृष्ण, वर्तमान काल में महर्षि देव दयानन्द सरीखे अनुकरणीय जीवन हमारे सामने हैं हम यदि इनके जीवन वृतांत से सीख लेकर अपने जीवन में शिष्टाचार के उन गुणों को धारण करके जीवन यापन करते हैं तो निश्चित रूप से अपने शिष्टाचार के कारण जीवन में सदैव सफल होंगे।

मो० : ८४६७३०८६८६

www.thearyasamaj.org

पृष्ठ १ का शेष

वैदिक उर्वशी, पुरुरवा एवं मित्रावरुण...........

आवश्यक है। आगे हम निरुक्त एवं निघण्टु के आलोक में उपरोक्त उर्वशी एवं पुरुरवा के संवाद को समझने का प्रयास करते हैं।

पहले हम देखते हैं कि उर्वशी क्या है? निरुक्त ११/२२ में मध्यस्थानी स्त्री देवताओं का वर्णन पाया जाता है, जिसमें अदिति से रोदसी तक का वर्णन है। इसी में उर्वशी का भी वर्णन है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उर्वशी कोई मध्यस्थानी यानी अन्तरिक्षस्थ पदार्थ विशेष है, ऐतिहासिक नारी नहीं। इसी क्रम में निरुक्त ११/३५ पर उर्वशी पद की व्याख्या की गई है। वहाँ तर्क एवं प्रमाण सहित दिखलाया गया हैं कि उर्वशी मेघस्थ विद्युत है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र भी उर्वशी को विद्युत ही कहा गया हैं। निरुक्त ५/१४ पर अपने भाष्य में स्कन्द स्वामी लिखते हैं कि नित्यपक्ष में उर्वशी विद्युत् है– 'नित्यपक्षे तु उर्वशी विद्युत् विशिष्ठोऽप्याच्छादित उदक संघातः। यहीं पर वे आगे कहते हैं कि विशेष रूप से चमकने वाली विद्युत ही उर्वशी है– 'विशेषण द्योतते इति विद्युत उर्वशी'। स्कन्द स्वमी अन्यत्र भी निरुक्त १०/४६ पर अपने भाष्य में उर्वशी को मध्यस्थानी यानी अन्तरिक्षस्थ विद्युत ही कहते हैं– 'उर्वशी मध्यस्थाना विद्युत'। आचार्य वररूरुचि के निरुक्त यानी अन्तरिक्षस्थ विद्युत ही कहते हैं– 'उर्वशी मध्यस्थाना विद्युत'। आचार्य वररूरुचि के निरुक्त समुच्च के ४/१४ में भी कहा गया हैं कि अन्तरिक्ष में व्यापक होने से उर्वशी विद्युत का ही नाम है– 'उर्वशी विद्युत्। उरू विस्तीर्णमन्तरिक्षमश्नुते इति'। अमरकोष में भी उर्वशी को मेघस्थ विद्युत् ही कहा गया है।

पूर्व उद्धत ऋग्वेद १०/६५/१०, जो निरुक्त ११/३६ में भी उद्धत है, पर भाष्य करते हुए दुर्ग ने लिखा है कि विद्युत के समान अथवा विद्युत रूप उर्वशी अन्तरिक्ष में मेघों के मध्य जाती हुई पुनः चमकती है और जलों को मेघों से गिरती हुई लोगों को दीर्घायु प्रदान करती है– ' विद्युन्न विद्युदिव संप्रत्यर्थे वा नकार। या पतन्ती गच्छन्त्यन्तरिक्षे मेघोदरेषु दविद्योत् पुनः द्योतते भरन्ती हरन्ती में मम स्वभूतानि आप्यानि काम्यानि उदकानि यो उर्वशी सा यदैवमुदकानि हरन्ती मेघेश्यः पतन्ती भृशं स्वयं विद्योतते..... प्रोर्वशी प्रवर्द्धयते दीर्घमायुः।

इसमें उर्वशी को जो दीर्घायु प्रदान करने वाली कहा गया है, उसका निम्नलिखित वैज्ञानिक कारण है– **'Ozon (Oxygen is condensed or concentrated state) is also a powerful germicide, cepable of killing the germs which give rise to contrageous disease. During a thaunderstorm ozon is produced in large quantity by the electric discharge and thus the air recieves as were a new lease of life and we feel the refrehing effects when the storn is over. (Electricity by W.H. Cormicks, P-23)'**
अर्थात् 'ओजोन, जो आक्सीन का सान्द्र रूप है, भी एक शक्तिशाली जीवाणुनाशक है और उस जीवाणु का भी नाश करने में भी समक्ष हैं जो संक्रामक बीमारी पैदा करते हैं। बिजली की कड़क में विद्युत-संचार के कारण ओजोन काफी मात्रा में पैदा होता है, जिससे वायु को मानो वनजीवन मिलता है और बिजली कड़कने के बाद हम नई स्फूर्ति अनुभव करते हैं। यही नहीं, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन परत है, जिसे पृथिवी की रक्षा कवच कहा जाता है, जिसके न रहने पर पृथिवी पर प्राणियों का जीवन असम्भव हो जाएगा। इसलिए भी उर्वशी को दीर्घायु दातृ नाम सार्थक है। चूँकि विज्ञान से सिद्ध बात है कि ओजोन की उत्पत्ति विद्युत से होती है, अतः जीवन रक्षक ओजोन को उत्पन्न करने वाली उर्वशी कोई अन्य पदार्थ नहीं, बल्कि विद्युत के समान या विद्युत रूप स्तनयित्लु लक्षणा वाणी का अधिदेवता उर्वशी है -'विद्युदिव या उर्वशी स्तनयित्युलक्षणया वाचो अधिदेवता'। इन सभी प्रमाणों से उर्वशी आकाशीय विद्युत सिद्ध होती है।

पुरुरवा–

अब हम देखते हैं पुरुरवा क्या है? उणादि सूत्र ४/२३२ के आधार पर पुरु+रू धातु से पुरुरवा शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है बहुत शब्द करने वाला। आचार्य वररूरुचि ने अपने निरुक्त समुच्चय के ४/१४ तथा यास्क ने अपने निरुक्त १०/४६ में भी यही भावार्थ प्रकट किया है। निरुक्त १०/११ पर मध्यस्थानी यानी अन्तरिक्षस्थ देवताओं का तथा निरुक्त १२/१ पर द्युस्थानी देवताओं का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में निरुक्त १०/४६ में पुरुरवाका वर्णन है। इस वर्णन से पुरुरवा कोई अन्तरिक्षस्थ पदार्थ विशेष प्रतीत होता है, कोई ऐतिहासिक व्यति नहीं। निरुक्त १०/४६ के अपने भाष्य में स्कन्द स्वामी ने लिखा है- 'पुरुरवा मध्यस्थानः..... । सः कस्मात्? बहुधा रोरुयते। अनेक विधमत्यर्थम् स्तनयित्लु लक्षणं शब्द करोति इति पुरुरवा अर्थात् पुरुरवा अन्तरिक्षस्थ पदार्थ है। वह किसलिए? बहुत प्रकार के शब्द करने के कारण तथा अनेक गर्जनादि लक्षण के कारण वह पुरुरवा है। हम जानते हैं कि अन्तरिक्षस्य पदार्थों में शब्द एवं गर्जन आदि लक्षण मेघ में ही घटित होता है। अतः पुरुरवा को मेघ मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः पुरुरवा मेघ ही है। यह बात यजुर्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण से सिद्ध होती है, क्योंकि यजु० (२६/१०) में कनिक्रददूदेवः पर्जन्यः एवं शतपथ ६/७/३/२ में 'क्रन्दतीव पर्जन्यः है, जिसका अर्थ है कि मघ गर्जन करने वाला है। इस तरह पुरुरवा मेघ सिद्ध होता है।

इस प्रकार तर्क एवं प्रमाणें से यह बात सिद्ध होती है कि उर्वशी आकाशीय विद्युत एवं पुरुरवा मेघ है, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं।

उर्वशी एवं मित्रावरुणः

अब हम उर्वशी एवं मित्रावरूण के सम्बन्ध विषय पर विचार करते हैं। कहाँ जाता है कि उर्वशी के साथ मित्रावरूण के संयोग से वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई। इससे सम्बद्ध एक मंत्र इस प्रकार है-

उतासि मैत्रावरुणो वशिष्ठोर्वश्याः ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः।
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे त्वाऽददन्त।।

ऋ. ६/३३/११

अर्थात् हे ब्रह्मन् वशिष्ठ! तू मित्र एवं वरूण का पुत्र हो और उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। अन्तरिक्ष में प्राप्त तुझ गतिशील को विश्वेदेवा दिव्य ज्ञान के द्वारा देवें अर्थात् ज्ञानपूर्वक उपयोग के लिए देवें।

पहले यह सिद्ध किया जा चुका है कि उर्वशी आकाशीय विद्युत हे कोई नारी विशेष नहीं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि उर्वशी जब अकाशीय विद्युत है, तो उसके साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाला और उससे उत्पन्न होने वाला भी कोई व्यक्ति या प्राणी विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि विद्युत के साथ किसी प्राणी का सम्बन्ध स्थापित करके संतान उत्पन्न करना सम्भव नहीं है। तो फिर मित्र, वरूण एवं वशिष्ठ हैं क्या चीज? आगे इस प्रश्न का सप्रमाण उत्तर खोजते है।

इस मंत्र पर निरुक्तकार यास्क ने निरूक्त में लिखा है कि 'उर्वशी को देखकर मित्र एवं वरूण का रेतः पात हो गया'- तस्याः (उर्वश्याः) दर्शनात् मित्रावरूणयोः रेतश्चस्कन्द' (निरुक्त ५/१३)। लेकिन निघण्टु में रेतः शब्द का अर्थ जल भी किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उर्वशी (विद्युत) को देखकर मित्रावरूण से जल-पात हुआ। जब उर्वशी पूर्व में अनेकशः प्रमाण से विद्युत सिद्ध हो चुकी है है और यहाँ निघण्टु के आधार पर रेतः जल का भी वाचक है, तो मित्र-वरूण भी कोई ऐसे ही पदार्थ होने चाहिए, जिसमें विद्युत संचार होने पर जल की उत्पत्ति होती है। इससे किसी वैज्ञानिक घटना का संकेत मिलता है। जब हम शतपथ ब्राह्मण पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि उसमें अनेक स्थानों पर मित्र एवं वरूण को दो वायु विशेष के रूप में चिहिन्त किया गया है, जिसे क्रमशः प्राणवायु एवं उदानवायु कहते हैं- (क) प्राणोदानौ वै मित्रवरूणौ' (शत०१/८/३/१२) एवं (ख) 'प्राणोदानौ मित्रावरूणौ' (शत० ३/२/२/१३)।

अब हम आधुनिक विज्ञान पर दृष्टि डालते हैं। विज्ञान से आज सिद्ध है कि आक्सीजन एवं हाइड्रोजन नामक दो गैसों में विद्युत संचार कराने पर जल का निर्माण होता है। इस वैज्ञानिक सत्य के साथ जब हम उपरोक्त उर्वशी तथा मित्र वरूण की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि उर्वशी विद्युत का स्थान लेती है और मित्र-वरूण क्रमशः ऑक्सीजन एवं हाईड्रोजन के स्थान पर आते हैं। उर्वशी पहले ही विद्युत सिद्ध हो चुकी है और शतपथ ब्राह्मण से मित्र-वरूण क्रमशः प्राणवायु एवं उदानवायु सिद्ध होते हैं। प्राण वायु ऑक्सीजन है और विज्ञान एवं वैदिक साहित्य से प्राप्त गुण-साम्य के कारण उदान वायु हाइड्रोजन सिद्ध होता है, क्योंकि विज्ञान भी हाईड्रोजन को ऊपर उठने वाली हल्की गैस कहता है और योग-दर्शन के व्यास-भाष्य में भी उदानवायु को ऊपर उठने वाला कहा गया है- 'उन्नयनात् उदानः' (व्यास भाष्य-३/३६)। तब वशिष्ठ वृद्धि जल ही होगा, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि ' नित्य पक्षे तु उर्वशी विद्युत वशिष्ठोऽप्याच्छादित उदक संघातः' (निरुक्त-५/१४)।

इस प्रकार उर्वशी एवं मित्रावरूण का यह पूरा प्रकरण ही प्राणवायु (ऑक्सीजन) एवं उदानवायु (हाइड्रोजन) के साथ उर्वशी (आकाशीय विद्युत) के संचार से वशिष्ठ यानी वृष्टि जल की उत्पत्ति का अलंकारिक किन्तु वैज्ञानिक वर्णन है। ध्यातव्य है कि वैदिक साहित्य में अपत्य (संतान) वाचक प्रत्यय जड़ पदार्थों में भी पाए जाते हैं। साथ ही यह भी ध्यात्व्य है कि उर्वशी, पुरुरवा एवं मित्रावरूण तथा वशिष्ठ आदि शब्दों का प्रकरण भेद होने पर अन्य अर्थ भी सम्भव है, लेकिन इस प्रकरण में भेद होने पर अन्य अर्थ भी सम्भव है, लेकिन इस प्रकरण में उपरोक्त अर्थ ही तर्क संगत हैं मानवीय संवाद या कथानक प्रतीत होने वाले ऐसे अनेक स्थल वेदों में है, जिससे छिपे वैज्ञानिक सत्य को प्रकट करने के लिए विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है।

www.thearyasamaj.org

आदेश दि0 09 नवम्बर 2016 पारित द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ का सम्पूर्ण विवरण जो डा0 धीरज सिंह के पक्ष में लिखा गया हैं।

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज, एवं लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पत्रांक/१/७२/ लखनऊ दिनांक २०१६

आदेश

संस्था आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र० ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० के प्राविधान के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है। संस्था की अंतरंग सभा/प्रबन्धसमिति के पिछले निर्वाचन वर्ष २०१० एवं वर्ष २०१३ में हुए थे, जिसमें श्री देवेन्द्र पाल वर्मा प्रधान पद पर निर्वाचित हुए। दिनांक ३०.०६.२०१५ को नियमावली में संशोधन के उपरान्त अन्तरंग सभा का कार्यकाल ३ वर्ष के स्थान पर ५ वर्ष कर दिया गया है। प्रबन्ध समिति का वर्तमान निर्वाचन २७ मार्च, २०१६ को सम्पन्न हुआ है जिसका कार्यकाल २६ मार्च, २०२१ तक है। श्री देवेन्द्र पाल वर्मा पुनः प्रधान एवं श्री धर्मेश्वरानन्द (धर्मपाल आर्य) निर्वाचित हुए हैं।

संस्था के कार्यकलापों के विरूद्ध श्री सत्यवीर सिंह, प्रतिनिधि आर्य समाज, पुरैनी विजनौर व अन्य द्वारा एफ प्रत्यावेदन कार्यालय में दिनांक ३१.१०.२०११ को प्राप्त कराते हुए रिट याचिका संख्या–४७६८(एम०/एस०) आफ २००३ (आर्य प्रतिनिधि सभा बनाम उ०प्र० राजय व अन्य) में पारित आदेश दिनांक २०.०७.२००७ के अनुक्रम में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० की धारा–२४ के अन्तर्गत संस्था के क्रियाकलापों की जाँच करने एवं श्री देवेन्द्र पाल वर्मा संस्था कार्यवाहक प्रधान/प्रधान द्वारा संस्था के प्रति की गई अनियमित्ताओं के लिए संस्था प्रधान पद से निलम्बित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायती पत्र में इंगित अनियमितताओं के दृष्टिगत संस्था के प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को कार्यालय नोटिस संख्या–१५८६ दिनांक ०८.११.२०११ प्रेषित कर शिकायत के सापेक्ष आख्या सहित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० की धारा –२४ के परन्तुक के अन्तर्गत संस्था के समस्त मूल अभिलेख दिनांक २१.११.२०११ तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए परन्तु श्री वर्मा ने अपने पत्र दिनांक १७.११.२०११ द्वारा २८.११.२०११ तक का समय की मांग की। कार्यालय पत्रांक १६४३ दिनांक १८.११.२०११ द्वारा उक्त तिथि उत्तर उपलब्ध कराने हेतु समय प्रदान किया गया। दिनांक २८.११.२०११ को देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा अपनी अस्पष्ट आख्या प्रस्तुत की परन्तु मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये। श्री सत्यवीर सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक २८.११.२०११ द्वारा अवगत कराया कि श्री देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा उनपर दबाव डालकर शिकायत वापस लेने हेतु कहा जा रहा है और उन्हें आर्य समाज के पदों एवं सदस्यता से निष्कासित करने की बात कही जा रही है। उक्त के पश्चात् कार्यालय पत्रांक १७५२ दिनांक ०१.१२.२०११ निर्गत करते हुए दिनांक १५.१२.२०११ की तिथि निर्धारित करते हुए संस्था के मूल अभिलेख श्री देवेन्द्र पाल वर्मा से मांगे गये। श्री देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा अपने पत्र दिनांक ०३.१२.२०११ तक व्यस्त रहेंगे। तदनुसार सन्दर्भित पत्र का पालन शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को अनेकों अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद उनके द्वारा संस्था के मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

श्री सत्यवीर सिंह द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक ३१.०८.२०१२ को कार्यालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पदाधिकारियों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं की शिकायत की गयी थी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय आदेश संख्या १६२१ दिनांक २६.१२.२०११ के द्वारा संस्था के दैनिक कार्यों को छोड़ते हुए सभी भुगतान कार्यालय के अनुमोदन के बिना न किये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने कार्यालय निर्देश/आदेश के बावजूद संस्था के बैंक खातों से कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना धनराशि का आहरण किया गया।

अतः पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद श्री देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा संस्था के प्रति की गई वित्तीय अनियमितताओं की जॉच हेतु संस्था के वित्तीय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उनका खण्डन किया गया। अतएव श्री देवेन्द्र पाल वर्मा प्रधान को प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं का दोषी मानते हुये श्री वर्मा को मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या ४७६८(एम०/एस०) आफ २००३ में पारित आदेश दिनांक २०.०७.२००७ के क्रम में जॉच पूर्ण होने तक श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को कार्यालय आदेशों और निर्देशों का पालन न किए जाने तथा संस्था की वित्तीय जॉच एवं मा० उच्च न्यायालय में याजित रिट याचिका संख्या ४७६८ (एम०/एस०) आफ २००३ में पारित आदेश दिनांक २०.०७.२००७ के दृष्टिगत जॉच में सहयोग न करने के कारण कार्यालय आदेश संख्या १२७५(३)/।–७२/लखनऊ दिनांक ०५.०६.२०१२ जारी करते हुये श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को संस्था के प्रधान पद पर कार्य सम्पादन से रोक लगाते हुए, तथा संस्था की नियमावली में दी गयी व्यवस्था एवं कोटिक्रमानुसार वरिष्ठता के आधार पर तत्कालीन उप प्रधान डा० आशारानी राय को प्रधान पद के समस्त अधिकार प्रदत्त करते हुए निर्देश दिये गये थे कि संस्था के समस्त मूल वित्तीय अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर सो०रजि०अधि० १८६० की धारा–२४ के परन्तुक जॉच हेतु मेसर्स डी पाठक एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट २३/४, के०ए० गोखले मार्ग, लखनऊ का तत्काल उपलब्ध कराकर पावती इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

श्री देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा कार्यालय आदेश संख्या १२७५ (३)/।–७२/लखनऊ दिनांक ०५.०६.२०१२ के विरूद्ध मा०उ० न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के समक्ष रिट याचिका संख्या ५२०७ (एम०/एस०) आफ २०१२ योजित कर चुनौती दी गई। उक्त रिट याचिका में भी श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को कार्यालय आदेश दिनांक ०५.०६.२०१२ के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हो पाया। मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त रिट याचिका में प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात् श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने प्रार्थना दिनांक २२.१२.२०१२ कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया कि वह वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की जॉच हेतु अधिकृत जॉच एजेन्सी चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी को जॉच हेतु पूर्ण सहयोग करेंगे तथा समय समय पर मांगे जाने पर वांछित अभिलेख जॉच हेतु उपलब्ध करायेंगे। श्री देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा जॉच पूर्ण होने तक प्रधान पद के अधिकार बहाल करने का अनुरोध किया गया।

श्री देवेन्द्र पाल वर्मा के उपरोक्त अनुरोध पर सम्यक विचार करते हुए कार्यालय आदेश संख्या २२३४–(२)/।–७२/लखनऊ दिनांक २७.१२.२०१२ द्वारा श्री वर्मा के प्रधान पद के समस्त अधिकार जो कार्यालय आदेश संख्या १२७५(३)/।–७२ दिनांक ०५.०६.२०१२ के द्वारा रोके गये थे को जॉच एजेन्सी मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेंट, ग्राउण्ड फ्लोर १६३ वजीर हसन रोड, लखनऊ की पूर्ण रिपोर्ट आने तक निम्नलिखित शर्तो के अधीन बहाल किये गये थे–

१. संस्था की अन्तरंग सभा/साधारण सभा की बैठक बुलाने के पूर्व इस कार्यालय से पूर्वानुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा। पूर्वानुमोदन के बिना आहूत बैठक में लिए गए निर्णय को कार्यलय द्वारा मान्य नहीं किया जाएगा।

२. संस्था के अन्य पदाधिकारियों के संस्था की नियमावली में दिए गए अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप न किया जाए।

३. संस्था के बैंक खातों का संचालन संस्था की पंजीकृत नियमावली के अनुसार प्रधान/मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किया जाय।

४. संस्था की प्रबन्ध समिति (अन्तरंग सभा) प्रदेश में कहीं भी एवं साधारण सभा की बैठक संस्था के मुख्यालय, ५, मीराबाई मार्ग, लखनऊ में ही आहूत की जाए। समस्त बैठकों में इस कार्यालय द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेगा।

अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या २२३४–(२)/।–७२/लखनऊ दिनांक २७.१२.२०१२ द्वारा अपने पूर्व आदेश कार्यालय पत्रांक १२७५(३)/।–७२ दिनांक ०५.०६.२०१२ को वापस ले लिये जाने के उपरान्त श्री देवेन्द्र पाल वर्मा के प्रार्थना पर रिट याचिका संख्या ५२०७ (एम०/एस०) आफ २०१२ बलहीन होकर मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक ०२.०८.२०१४ द्वारा निरस्त कर दिया गया।

अधिकृत जांच एजेन्सी मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउण्टेंट, ग्राउण्ड फ्लोर १६३ वजीर हसन रोड, लखनऊ द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक २३.०२.२०१३ को उपलब्ध करायी गयी अन्तरिम जॉच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के साथ ही संस्था प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा द्वारा निश्चय ही जानबूझकर संस्था के वित्तीय

शेष पृष्ठ -८ पर

www.thearyasamaj.org

आर्य मित्र
नारायण स्वामी भवन, ५-मीराबाई मार्ग, लखनऊ दूर/फैक्सः ०५२२-२२८६३२८
प्रधान- ०६४१२६७८५७१, मंत्री- ०६८३७४०२१६२, सम्पादक- ६४५१८८१७७७
ई-मेल : apsabhaup86@gmail.com
सम्पादक आर्य मित्र ई-मेल आईडी : sama[illegible]aryamitra@gmail.com

सेवा में,
....
....
....

पृष्ठ ७ का शेष

आदेश दि0 09 नवम्बर 2016 पारित.....

अभिलेखों को हठधर्मिता के कारण ही जॉच एजेन्सी को उपलब्ध नहीं कराए गए और न ही जॉच में कोई सहयोग प्रदान किया गया।

श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक २२.१२.२०१२ में झूठ बोलकर कि इस कार्यालय के आदेश दिनांक ०५.०६.२०१२ के अनुपालनार्थ संस्था के समस्त मूल अभिलेख मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउण्टेंट, ग्राउण्ड फ्लोर १६३ वजीर हसन रोड, लखनऊ को प्राप्त करा दिए गए है और वह जॉच में पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है एवं समय–समय पर कार्यालय द्वारा लिए गए निर्देशों के अनुसार वांछित अभिलेख उपलब्ध करायेंगे एवं जॉच पूर्ण होने तक प्रधान कार्य करने के अधिकार बहाल कर दिए जाने का अनुरोध किया था। जॉच एजेन्सी मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउन्टेन्ट, ग्राउन्ड फ्लोर १६३ वजीर हसन रोड, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत अन्तरिम जॉच रिर्पोट जो कि सभा प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को भी पृष्ठांकित है पर अपनी कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करायी है और आरोपों का भी खण्डन नहीं किया गया है।

श्री सत्यवीर सिंह प्रतिनिधि आर्य समाज पूरैनी, बिजनौर एवं श्री संतोष शास्त्री ने अपने शिकायती पत्रों क्रमशः ०१.०१.२०१४, दिनांक १०.१०.२०१५ एवं दिनांक २०.०४.२०१६ द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उनके विरूद्ध सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० की धारा–२४ के अन्तर्गत जॉच कराए जाने का अनुरोध करते हुए इस कार्यालय के आदेश संख्या २२३४/१–७२ दिनांक २७.१२.२०१२ को स्थगित/निरस्त कर इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या १२७५/१–७२ दिनांक ०५.०६.२०१२ को पुनः प्रभावी करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त शिकायती पत्रों पर कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक संख्या २१५१/१–७२ दिनांक २७.०८.२०१६ द्वारा देवेन्द्र पाल वर्मा को निर्देशित किया कि वह अपने विरूद्ध लगाए गए वित्तीय एवं प्रशासनिक आरोपों की जॉच हेतु नियुक्त जॉच अधिकारी मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी चार्टेट एकाउन्टेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर १६३ वजीर हसन रोड, लखनऊ का पत्र प्राप्त करने के १० दिनों के अन्दर वांछित वित्तीय अभिलेख मूल रूप में उपलब्ध करा दें एवं उनका विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी। श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने अपने पत्रांक २४८ दिनांक ०३.०६.२०१६ द्वारा चार्टेड एकाउण्टेन्ट मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी को सूचित किया कि इस कार्यालय के पत्रांक २१५१/१–७२ दिनांक २७.०८.२०१६ के पत्र के सम्बन्ध में आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यालय अधीक्षक को वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है, परन्तु कार्यालय अधीक्षक द्वारा भी अद्यतन वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

जॉच एजेन्सी मेसर्स खरे एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउण्टेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर १६३ वजीर हस रोड, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक १०.०६.२०१६ जो कि इस कार्यालय को १६.०६.२०१६ को प्राप्त कराया में सूचित किया गया कि श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने न तो वांछित मूल अभिलेख प्रस्तुत किये और न ही जॉच में कोई सहयोग प्रदान किया। कार्यालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने अद्यतन जॉच अधिकारी द्वारा अपने पत्रों दिनांक १२.११.२०१२, दिनांक ०२.०१.२०१३, दिनांक १८.०२.२०१३, दिनांक २०.०२.२०१३ दिनांक ३०.०४.२०१३ दिनांक १०.०६.२०१६ एवं पत्र दिनांक २५.०६.२०१६ द्वारा वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के अनुरोध के बावजूद वांछित अभिलेख जॉच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराए और न ही जॉच में स्वयं कोई सहयोग प्रदान किया।

जॉच एजेन्सी मेसर्स कुमार एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउण्टेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर १६३. वजीर हसन रोड, लखनऊ द्वारा प्रेषित अन्तरिम जांच रिपोर्ट में श्री देवेन्द्र पाल वर्मा प्रधान द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं का सही पाया जाना, श्री वर्मा द्वारा जॉच में सहयोग प्रदान न करना एवं संस्था के प्रति अपने पत्र दिनांक २२.१२.२०१२ में तथ्यों को छिपाकर कि जांच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा, आदेश संख्या २२३४/१–७२ दिनांक २७.१२.२०१२ प्राप्त कर लिये गये थे। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या २१५१/१–७२ दिनांक २७.८.२०१६ में निर्धारित समय समाप्त हो जाने के उपरान्त भी श्री वर्मा ने जांच एजेन्सी मेसर्स कुमार एण्ड कम्पनी को वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये न ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा इस कार्यालय के आदेश संख्या–२२३४/१–७२ दिनांक २७.१२.२०१२ जिसके द्वारा इस कार्यालय द्वारा पारित पूर्व आदेश संख्या–१२७५/१–७२ दिनांक ०५.०६.२०१२ में संशोधन किया गया था, को निष्प्रभावी करते हुए आदेश संख्या–१२७५/१–७२ दिनांक ०५.०६.२०१२ को प्रभावी करते हुए श्री देवेन्द्र पाल वर्मा को प्रधान पद पर कार्य सम्पादन करने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए संस्था नियमावली में दी गयी व्यवस्था एवं कोटिक्रमानुसार वरिष्ठता के आधार पर उप–प्रधान डा० धीरज सिंह को प्रधान पद के समस्त अधिकार प्रदत्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संस्था के समस्त मूल वित्तीय अभिलेख अपनी अभिरक्षा में लेकर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, १८६० की धारा–२४ के परन्तुक के अन्तर्गत जॉच हेतु मेसर्स कुमार खरे एण्ड कम्पनी चार्टेड एकाउण्टेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर, १६३ वजीर हसन रोड, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराकर पावती इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।

अजय गुप्ता
डिप्टी रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

१. श्री धीरज सिंह, कार्यवाहक प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र०, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ।
२. श्री देवेन्द्र पाल वर्मा, आर्य प्रतिनिधि सभा, उ०प्र०, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि वह कार्यवाहक प्रधान श्री धीरज सिंह को प्रधान पद का कार्यभार अविलम्ब हस्तगत करें।
३. श्री सत्यवीर सिंह, आर्य समाज पुरैनी, विजनौर।
४. श्री संतोष कुमार शास्त्री प्रधान आर्य समाज कृष्ण नगर कीडगंज, इलाहाबाद।

डिप्टी रजिस्ट्रार

आर्य गुरुकुल महाविद्यालय सिरसागंज, फिरोजाबाद की भूमि के सम्बन्ध में जारी प्रस्ताव संख्या 5 का अनुमोदन किया तत्कालीन कार्यवाहक प्रधान श्री देवेन्द्र पाल वर्मा ने

पत्र संख्या ३०१ दिनांक २०.१०.२००४

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक
आर्यगुरुकुल महाविद्यालय, सिरसागंज, फिरोजाबाद।

विषय : प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक १६.०६.२००४ के प्रस्ताव सं०–५ के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अपने पत्रांक १००/५३/२००४–०५ दिनांक २६.०६.२००४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें आपने महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक १६.०६.२००४ के प्रस्ताव सं०– की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजी है जिसके द्वारा आपने क्षेत्र की उच्च/तकनीकी/मेडिकल शिक्षा की परम आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती की भावनाओं व उद्देश्यों से शिक्षण संस्थान खोलने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। आर्य गुरूकुल महाविद्यालय, सिरसागंज, जिला–फिरोजाबाद की सम्पत्ति की स्वामिनी आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र०, ५–मीराबाई मार्ग, लखनऊ है। गुरूकुल महाविद्यालय इसकी सम्बद्ध शाखा है। आप द्वारा पस्तुत उक्त पत्र व प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए आर्य प्रतिनिधि सभा उ०प्र० द्वारा गुरूकुल महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक १६.०६.२००४ के प्रस्ताव सं०–५ का अनुमोदन इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संस्था की सम्पत्ति संस्था के उद्देश्यों के विपरीत प्रयोग में न लायी जाय तथा आर्य समाज और महर्षि दयानन्द सरस्वती के नाम से तथा उद्देश्यों के अनुरूप ही सभा के हित में सभी कार्य सम्पादित किये जायें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(देवेन्द्र पाल वर्मा)
प्रधान
आर्य प्रतिनिधि सभा

अगले अंक में इस सम्बन्ध में कुछ और सनसनी खेज खुलासे होगें।

स्वामी-आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश सम्पादक-आचार्य वेदव्रत अवस्थी, मुद्रक प्रकाशक-श्री सियाराम वर्मा, भगवानदीन आर्य भाष्कर प्रेस, 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी रूप में शारदा प्रिंटिंग प्रेस, माडल हाउस, लखनऊ से मुद्रित एवं प्रकाशित
लेखों में वर्णित भाषा या भाव से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है- सम्पूर्ण विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।